# हाई कोर्ट से पेंशन रिकवरी की राशि वापस दिलाई

सुरेन्द्र दुबे

नईदुनिया मेरा यादगार मुकदमा

हाई कोर्ट में दो दशक से वकालत कर रहे अधिवक्ता प्रमोद सिंह तोमर का जन्म चंबल सम्भाग अंतर्गत बलिदानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के गांव में हुआ था। बुंदेलखंड क्षेत्र में निवासरत रहते हुए शिक्षा अर्जित की। मास्टर आफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन और एलएलबी आनर्स की उपाधियां मिलने के साथ वकालत में जुट गए। हाई कोर्ट बार, जबलपुर के आजीवन सदस्य व सुप्रीम कोर्ट बार, नई दिल्ली के पंजीकृत सदस्य हैं। हाइ कोर्ट की मुख्यपीठ जबलपुर के साथ-साथ खंडपीठ इंदौर व ग्वालियर में पैरवी करते हैं। छत्तीसगढ़ व नागपुर हाई कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट तक पक्षकारों की ओर से बहस करने जाते हैं। उन्होंने अपने यादगार मुकदमे का सवाल छिड़ने पर बताया कि 2004 से 2023 तक 3172 प्रकरणों में पैरवी कर चुका हूं। जो कि नामांकन क्रमांक से सर्च करने पर हाई कोर्ट की वेबसाइट पर दर्शित होते हैं। समय-समय पर वरिष्ठ अधिवक्ताओं का मार्गदर्शन, सहयोग, आशीर्वाद और स्वाध्याय वकालत के क्षेत्र में उन्नति के लिए महत्वपूर्ण होता है।

**अधिवक्ता प्रमोद सिंह तोमर ने कहा- न्याय दिलाकर मिला सुकून**

वैसे तो प्रत्येक मुकदमा यादगार होता है, उससे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। फिर भी मामले भावनात्मक जुड़ाव के कारण कोई-कोई मामले संस्मरण की तरह सुनाए जा सकते हैं। मसलन, दमोह निवासी ताराबाई का मुकदमा। उनके पति दिलीप सिंह ठाकुर एसआई थे, जिनके निधन के बाद पुलिस विभाग ने पेंशन खाते से चार लाख 81 हजार 674 रुपये की रिकवरी कर ली थी। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। बच्चों की शादी करनी थी। उस परिवार की प्रतिकूल स्थिति समझकर मैं निश्शुल्क पैरवी के लिए तैयार हो गया। अच्छी तैयारी कर सन्दर्भित कानूनी बिंदु व सिद्धांत रेखांकित किए। हाई कोर्ट ने मेरी बहस से संतुष्ट होकर ब्याज सहित रिकवरी राशि भुगतान का आदेश पारित किया। ताराबाई को इंसाफ मिला तो उन्होंने दिल से दुआ दी। इससे मेरे मन को बड़ा सुकून मिला था। यह केस रिपोर्टेड है। इसी तरह कोविड पीड़ित पर एनएसए की कार्रवाई के विरुद्ध याचिका दायर कर राहत दिलाई थी। यह केस भी रिपोर्टेड है। मेरा मानना है कि वकालत नोबल प्रोफेशन होने के साथ-साथ समाजसेवा का भी अच्छा जरिया है। जब ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति निर्दोष फंसाया गया है और वह फीस अदा करने की स्थिति में नहीं है, तो निश्शुल्क न्यायदान के लिए संकल्प कर लेना चाहिए। इससे दुआएं मिलती हैं, जो उन्नति का पथ प्रशस्त करती हैं।